

20/9/21 पत्रावली काज पेश हुई

इस स्वगत प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित
मूल मपील का निर्देश हो जाने से इस स्वगत
प्रार्थना पत्र के संदर्भ में खी प्रस्ताव की कार्यवाही
संशोधित नहीं रह जागी काज: स्वगत प्रार्थना पत्र
इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है।

पत्रावली मुकाल के तल की जाकर
मकाल से कम हो। एवं मूल मपील सं
2021 के तलगत हो।

^A
जिला कलेक्टर, बाली

UcMS
12/10/20

